न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 13/21 GCMS NO 2021/111

1. जनक सिह पुत्र रधुवीर सिह
2. राजरोसी पुत्र रधुराज सिह
3. राजाराम पुत्र सजन सिह जातियान गुर्जर निवासीयान लुहारखेडा तहसील टोडाभीम जिला करौली

अपीलांट

बनाम

1. अतरा देवी पत्नि दातार सिह
2. द्रोपती पत्नि हरिसिह
3. किशन सिह पुत्र सजन सिह जातियान गुर्जर निवासीयान लुहारखेडा तहसील टोडाभीम जिला करौली
4. तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 (28/15) 147/19 निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 22.3.17 न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम)

अभिभाषक अपीला0 श्री सुरेश चंद शर्मा
अभिभाषक रैस्पो0 श्री हंसराम गुर्जर

दिनांक 14.02.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 22.3.17 न्यायालय उप जिला कलक्टर, टोडाभीम पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/रेस्पो0 द्वारा एक वाद पत्र डिवीजन आफ होल्डिग व स्थाई निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया कि भूमि आराजी ख0न0 723 रकबा 1.0800 है0 हिस्सा 58/108 तथा भूमि ख0न0 625 रकबा 0.21 है0, 708/846 रकबा 0.08 है0 , 709 रकबा 0.92 है0, 710/845 रकबा 0.10 है0, 711 रकबा 0.94 है0, 712/843 रकबा 0.12 है0, 713/844 रकबा 0.12 है0, 717/842 रकबा 0.12 है0, 720/841 रकबा 0.08 है0 कुल किता 9 कुल रकबा 2.69 है0 हिस्सा 119/269 स्थित ग्राम लुहारखेडा तहसील टोडाभीम के वादीगण खातेदार काश्तकार है। हाल राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे खातेदारी दर्ज है। उक्त आराजीयात को पूर्व खातेदारो से जरिये [illegible] विक्रय पत्र से खरीद की है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण इस भूमि सह[illegible] की सहैलियत के अनुसार बांहमी बंटवारा कर रखा है। वादीगण अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:40:19 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 झगडालू किस्म के व्यक्ति है जो वादीगण की उक्त आराजीयात मे काश्त करने मे बाधा उत्पन्न करते है। दिनांक 3.5.15 को वादीगण ने प्रतिवादीगण से कहा कि भूमि का बंटवारा व अलग खाता कायम कराने के लिए तहसील मे चलकर करवा लेते है तो इस पर उन्होने इंकार कर दिया। कहा कि तुम्हारा इस भूमि मे कोई हिस्सा नही है। तुम्हे काश्त नही करने देगे। इस कारण वाद पत्र पेश करना आवश्यक हुआ। अतः दावा वादी इस अमर का डिक्री फरमाया जावे कि भूमि ख0न0 723 रकबा 1.0800 है0 हिस्सा 58/108 तथा भूमि ख0न0 625 रकबा 0.21 है0, 708/846 रकबा 0.08 है0 , 709 रकबा 0.92 है0, 710/845 रकबा 0.10 है0, 711 रकबा 0.94 है0, 712/843 रकबा 0.12 है0, 713/844 रकबा 0.12 है0, 717/842 रकबा 0.12 है0, 720/841 रकबा 0.08 है0 कुल किता 9 कुल रकबा 2.69 है0 हिस्सा 119/269 स्थित ग्राम लुहारखेडा जो वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है जिसमे वादीगण का मुताबिक कब्जा अलग खाता व लगान कायम किया जावे। तहसीलदार से कब्जा अनुसार बंटवारा स्कीम मंगवाई जाकर पृथक पृथक खाता कायम कर प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे कि वादीगण के कब्जे काश्त मे प्रतिवादी रूकावट पैदा नही करे तथा वादीगण को शांतिपूर्वक काश्त करने देवे। इस प्रकार की इस्तदुआँ अधिनस्थ न्यायालय से वादीगण द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार से बंटवारा स्कीम तलब की जाकर प्राप्त बंटवारा स्कीम अनुसार वादी का वाद पत्र प्राथमिक डिक्री किये जाने से व्यथित होकर प्रतिवादीगण/अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अभिभाषको की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं रूयेदाद मिसल होने से निरस्त योग्य है। आराजी ख0न0 723 रकबा 1.08 है0 तथा ख0न0 625 रकबा 0.21 है0 708/846 रकबा 0.08 ऐयर, 709 रकबा 0.92 ऐयर , 710/845 रकबा 0.10 ऐयर, 711 रकबा 0.94 ऐयर, 712/843 रकबा 0.12 ऐयर, 813/844 रकबा 0.12 ऐयर, 717/842 रकबा 0.12 ऐयर, 720/841 रकबा 0.08 ऐयर कुल किता 9 कुल रकबा 2.69 है0 ग्राम लुहारखेडा तहसील टोडाभीम मे स्थित है। उक्त आराजी के ख0न0 723 रकबा 1.08 है0 अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 3 वहिस्सा 50/108 तथा शेष ख0नम्बरान मे अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 3 वहिस्सा 150/269 के रिकार्डेड खातेदार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। रेस्पो0 न0 1 व 2 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे एक मुकदमा अतरा देवी बनाम जनकसिह वगै0 मु0न0 28/15 पेश कि[illegible] डिक्री दिनांक 22.3.17 को एवं फाईनल डिक्री 14.6.17 को जारी की गई। जिसकी अ[illegible]ांट व रेस्पो0 द्वारा न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत की गई जिसको न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक [illegible]19 को [illegible] किया जाकर आदेश दिये गये कि दोनो पक्षो की बंटवा[illegible] पर ऐतराज लेकर सुनवाई कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:40:19 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

पुनः अंतिम किया किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना आपत्ति के ही बंटवारा स्कीम तलब फरमाने के आदेश जारी कर दिये। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बंटवारा स्कीम पर कोई उजर नही लिये पुनः बंटवारा स्कीम के आदेश पारित कर दिये जबकि उक्त आदेश मे प्रतिवादीगण अधिवक्ता की सहमति दर्ज की है। जबकि उक्त आदेशिका पर ना तो पक्षकारान के और ना ही अधिवक्ता के हस्ताक्षर है इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्व है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व मे मंगवाई गई बंटवारा स्कीम तथा दिनांक 30.10.20 मे प्रस्तुत की गई बंटवारा स्कीम बिलकुल एक दूसरे के उलट है जिस पर गौर नही फरमाकर अधिनस्थ न्यायालय ने कानूनी भूल की है। अपीलीय आदेश के बावजूद ना तो पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान किया है और ना ही कोई तनकी कायम की, ना ही साक्ष्य ली गई है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय अपीलीय न्यायालय के आदेश पर गौर नही किया तथा सरसरी तौर पर ही आदेशिका लिखकर बिना पक्षकारान की सहमति के पुनः बंटवारा स्कीम तलब की गई है जबकि पुनः सुनवाई कर तनकी व साक्ष्य लेकर निर्णय पारित करना चाहिए था। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त योग्य है। अतःअपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी दिनांक 22.3.17 अपास्त किया जाकर प्रकरण पुनः सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु रिमाण्ड किया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान कथन किया कि भूमि आराजी ख0न0 723 रकबा 1.0800 है0 हिस्सा 58/108 तथा भूमि ख0न0 625 रकबा 0.21 है0, 708/846 रकबा 0.08 है0, 709 रकबा 0.92 है0, 710/845 रकबा 0.10 है0, 711 रकबा 0.94 है0, 712/843 रकबा 0.12 है0, 713/844 रकबा 0.12 है0, 717/842 रकबा 0.12 है0, 720/841 रकबा 0.08 है0 कुल किता 9 कुल रकबा 2.69 है0 हिस्सा 119/269 स्थित ग्राम लुहारखेडा तहसील टोडाभीम के रेस्पो/वादीगण खातेदार काश्तकार है। हाल राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे खातेदारी दर्ज है। उक्त आराजीयात को रेस्पो/वादीगण द्वारा पूर्व खातेदारो से जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र से खरीद की है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण इस भूमि सह खातेदार होने के कारण उन्होने आपस मे कब्जे अनुसार बांहमी बंटवारा कर रखा था परन्तु प्रतिवादीगण/अपीलांट द्वारा वादीगण/रेस्पो0 को भूमि के कब्जे काश्त मे मजाहमत करने के कारण ही अधिनस्थ न्यायालय मे वाद पेश किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के प्रावधानो के तहत ही तहसीलदार से विवादित आराजीयात की कब्जे काश्त अनुसार करेजात प्राप्त की जाकर वादीगण/रेस्पो0 का वाद पत्र डिकी किया गया है। न्यायालय हाजा द्वारा इसी प्रकरण मे निर्णय दिनांक 31.10.19 को निर्णय पारित कर दोनो पक्षो की बंटवारे की रिपोर्ट तहसीलदार पर एतराज ... सुनवाई कर पुनः अंतिम डिकी पारित करने के आदेश दिये गये थे जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दावा पुनः दर्ज किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी की सहमति ... प्राप्त करने की सहमति देने पर पुनः बंटवारा स्कीम तलब की गई। तहसीलदार द्वारा निर्देशानुसार बंटवारा स्कीम भी अधिनस्थ मे प्रेषित कर दी गई। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय मे प्रतिवादी/अपीलांट द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:40:19 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

बंटवारा स्कीम पर आपत्ति पेश करने हेतु अवसर चाहा गया था तत्पश्चात अपीलांट/प्रतिवादी वकील मे प्राथमिक डिक्री की अपील न्यायालय हाजा मे कर दिये जाने का कथन किया गया एवं मिलस तलबी पत्र पेश करने हेतु समय चाहा गया। इस कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बंटवारा स्कीम के अनुसार वाद पत्र फाईनल डिक्री नही किया गया। इस प्रकार अपीलांट द्वारा न्यायालय के समक्ष बिना किसी विधिक कारण के ही यह अपील पेश की गई है। जो खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया जिससे यह तथ्य सामने आये कि विवादित आराजीयात ख0न0 723 रकबा 1.0800 है0 हिस्सा 58/108 तथा भूमि ख0न0 625 रकबा 0.21 है0, 708/846 रकबा 0.08 है0 , 709 रकबा 0.92 है0, 710/845 रकबा 0.10 है0, 711 रकबा 0.94 है0, 712/843 रकबा 0.12 है0, 713/844 रकबा 0.12 है0, 717/842 रकबा 0.12 है0, 720/841 रकबा 0.08 है0 कुल किता 9 कुल रकबा 2.69 है0 हिस्सा 119/269 स्थित ग्राम लुहारखेडा तहसील टोडाभीम मे स्थित है। जिसमे वादी/रेस्पो0 एवं प्रतिवादी/अपीलांट सहखातेदारान है। जिन्होने आपस मे कब्जे अनुसार बाहमी बंटवारा मौके पर किया हुआ था। विधिवत बंटवारा कराने हेतु वादी/रेस्पो0द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे वाद संख्या 28/15 पेश किया गया था। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 14.6.17 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प मे उभयपक्ष अधिवक्तागण एवं पक्षकारो की सहमति के आधार पर दावा फाईनल डिक्री किया गया। जिसकी अपील अपीलांट द्वारा इस न्यायालय मे अपील संख्या 104/17 पेश की गई। जिसका निर्णय इस न्यायालय द्वारा दिनांक 31.10.19 को किया जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित फाईनल डिक्री को निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया था कि दोनो पक्षो की बंटवारे संबंधित रिपोर्ट तहसीलदार पर एतराज लेकर व सुनवाई कर उसके बाद नियमानुसार अंतिम डिक्री पारित की जावे। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस न्यायालय के निर्देशान्तर्गत प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर बंटवारा स्कीम तहसीलदार से पुनः मंगवाये जाने पर सहमति प्रकट की गई। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री की प्रति तहसीलदार को भिजवाकर पक्षकारो की उपस्थिति मे स्वयं मौके पर उपस्थित होकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण का जमाबंदी मे हिस्सा अनुसार अलग अलग खाता कायम करते हुए बंटवारा स्कीम तलब किये जाने के आदेश दिये गये। परन्तु इसी दौरान अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 22.3.17 की अपील इस न्यायालय मे पुनः पेश कर दी गई है। उभयपक्ष के अधिवक्तागणो द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि अपील को सहमति के आधार पर इस प्रकार निर्णित की जावे कि वादी एवं प्रतिवादी को राजस्व रिकार्ड अनुसार अपने अपने हिस्से की आराजीयात प्राप्त हो सके। अधिवक्तागण के इस मत से हम सहमत है।

अतः अपील अपीलांट इस प्रकार निर्णित की जाती है कि विवादित आराजीयात के बाबत तहसीलदार से प्राप्त कुरेजात दिनांक 30.10.20 के अनुसार नियमानुसार पुलिस इमदाद ली जाकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:40:19 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

उभयपक्षकारान की मौजूदगी मे विवादित आराजीयात की पैमाईश करवाकर राजस्व रिकार्ड अनुसार कब्जा संभलवाने की कार्यवाही करे। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित डिक्री यथावत रहेगी। निर्णय की प्रति तहसीलदार टोडाभीम को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 14.02.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बलोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:40:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner